न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 03/2019

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान अपीलाण्ट – 1.सकूरखां 2.सालकखां 3.ईदाखां पि.लतीफखां 4.जानूखां 5.लतीफखां पि.खानू खां 6.इमू पत्नि खानूखां जाति मुसलमान, निवासी सुकालिया (बीजराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण – 1.सरपंच ग्राम पंचायत बीजराड़ 2.भानाराम पुत्र ठाकरराम 3.पन्नाराम पुत्र खीयाराम जाति जाट, निवासी धारासर, तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री मोहनलाल खिलेरी**
उतरदातागण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया (उतरदाता सं. 2 व 3)**

निर्णय

दिनांक :– 26.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पैतृक खातेदारी का खेत मौजा सुकालिया पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 677 रकबा 118.07 बीघा का आया हुआ है। वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलाण्ट के मुतवफी लतीफ पुत्र सालक की खातेदारी व कब्जा काश्त होने के कारण अपीलाण्टगण के मुतवफी लतीफ के नाम पर्चा लगान जारी किया गया उसके पश्चात् लतीफ द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि रकबा 118.07 बीघा मे से 1/3 हिस्सा से रकबा 39.09 बीघा [illegible] पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 17.09.1980 को ठाकरराम, पन्नाराम पि. खींयाराम [illegible] किया गया तथा बेचान सुदा भूमि में 1/2–1/2 हिस्सा ठाकरराम एवं पन्नाराम [illegible] खरीद किया [illegible]। जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं. 789 दिनांक 01.12.[illegible] खरीददारों के ना[illegible] 3 हिस्सा अपीलाण्टगण के मुतवफी के साथ दर्ज किया गया तथा उक्त बेचान के बाद अपीलाण्टगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

मुतवफी का 2/3 हिस्सा से रकबा 78.18 बीघा भूमि शेष रही जिस पर अपीलाण्टगण के मुतवफी का कब्जा काश्त चलता रहा ।

तत्पश्चात अपीलाण्टगण के मुतवफी लतीफ ने दिनांक 22.01.1981 को 19.14 बीघा व दिनांक 20.05.1981 को 39.09 बीघा उतरदाता सं. 3 अकेले को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के कर दिया गया उक्त बेचान के बाद वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्टगण के मुतवफी लतीफ का 1/6 हिस्सा से रकबा 19.15 बीघा भूमि शेष रही तथा उतरदाता सं. 2 के पिता खीयाराम का 1/6 हिस्सा से रकबा 19.15 बीघा व उतरदाता सं. 3 का 2/3 हिस्सा से 78.18 बीघा खातेदारी अधिकारों में निहित हो गया तथा उक्त बेचान दिनांक 20.05.81 में दोनों बेचान 22.01.81 व 20.05.81 से प्रतिवादी सं. 3 अकेले को 59.03 बीघा भूमि बेचान करना रजिस्ट्री में स्पष्ट दर्ज है, इस प्रकार लतीफ द्वारा अपने 2/3 हिस्सा की रकबा 78.18 बीघा में से 59.03 बीघा भूमि बेचान करने के बाद 19.15 बीघा लतीफ के नाम से शेष रही ।

उक्त बेचान पत्र दिनांक 20.05.1981 के आधार पर हल्का पटवारी ने 59.03 बीघा के स्थान पर सम्पूर्ण 2/3 हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण सं. 840 खोलकर हल्का आर.आई से जांच करवाकर स्वीकृति हेतु उतरदाता सं. 1 के समक्ष पेश किया जिस पर उतरदाता सं. 1 ने पंजीबद्ध बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही बेचानसुदा 59.03 बीघा भूमि के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे का नामान्तरकरण उतरदाता सं.3 के पक्ष में स्वीकृत कर सम्पूर्ण रकबे की भूमि में अपीलाण्टगण के पूर्व लतीफ का नाम हटाकर उसके स्थान पर उतरदाता सं. 3 के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज कर दिया।

वर्तमान में अरसा माह पूर्व अपीलाण्टगण ने वादग्रस्त भूमि में बेचान के बाद शेष भूमि के बंटवाड़ा करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि आप अपीलाण्टगण के नाम खसरा सं. 677 में नहीं है। उक्त समस्त भूमि का बेचान हो चुका है और वर्तमान में उतरदाता सं. 2 व 3 के नाम से दर्ज है। जिस पर अपीलाण्टगण को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलाण्टगण ने उक्त बेचान पत्र की नकल प्राप्त की तथा दिनांक 06.08.2019 को उक्त विवादित नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तो अपीलाण्ट को समस्त तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर अपीलाण्टगण को अपील पेश करनी पड़ी ।

उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 8[illegible] दिनांक 15.05.1982 पारित करने से पूर्व दस्तावेजों का अवलोकन करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, वादग्रस्त खसरा सं. 677 में उतरदाता सं. 3 का मौके पर मात्र 78.18 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है इसके बावजूद

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

उतरदाता सं. 3 ने उतरदाता सं. 1 व हल्का पटवारी से मिलीभगत कर अपीलाण्टगण के मुतवफी लतीफ का नाम राजस्व रेकर्ड में हटा दिया । उतरदाता सं. 1 ने उक्त नामान्तरकरण को न तो विचारार्थ ग्राम पंचायत की बैठक में रखा और न ही मौके की जांच की और न ही विक्रय पत्र का अच्छे से अवलोकन किया गया, जबकि विक्रय पत्र दिनांक 20.05.1981 में उतरदाता सं. 3 को 59.03 बीघा भूमि बेचान करने इन्द्राज स्पष्ट रूप से दर्ज है लेकिन उक्त बेचान पत्र का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय व उतरदाता सं. 3 के दबाव में पारित होन से निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सुकालिया (बीजराड) तहसील चौहटन के खसरा सं. 677 रकबा 118.07 बीघा भूमि में उतरदाता सं. 1 द्वारा दिनांक 15.05.1982 को पारित नामान्तरकरण सं. 840 को अपास्त किया जावे तथा पुनः पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 20.05.1981 के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया ने वकालतनामा पेश किया, उतरदाता सं. 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए अतः उतरदातागण सं.1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई । अपीलाण्टगण एवं उतरदाता सं. 2 व 3 के अधिवक्ताओं बहस सुनी गई। अपीलाण्टगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित तथ्य एवं दस्तावजों को उनकी बहस माना जावे, इसके अलावा अन्य कोई तथ्य बहस में नहीं रखना चाहते है।

उतरदाता सं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 840 तीन रजिस्ट्री / पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया था, जबकि अपीलाण्टगण के अधिवक्ता ने अपनी अपील में दो ही रजिस्ट्री पेश की है तीसरी रजिस्ट्री पेश नहीं की है, वादग्रस्त आराजी के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 840 सही है। उक्त नामान्तरकरण सं. 840 रजिस्ट्री दस्तावेज दिनांक 21.01.1981, 20.05.1981, 01.09.1981 के आधार पर पारित किया गया जो सही है, अपीला[illegible] अधिवक्ता ने न्यायालय को अंधेरे में रखकर गलत तथ्यों एवं दस्तावेजों [illegible] की है जो सारहीन एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है [illegible] अधिवक्ता ने इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति न्यायालय के समक्ष पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोन किया गया, उतरदाता अधिवक्ता द्वारा पेश पंजीयन दस्तावेजों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा सुकालिया पटवार क्षेत्र बीजराड़, तहसील चौहटन के खसरा सं. 677 रकबा 118.07 बीघा के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 840 विधि सम्मत है, अपीलाण्टगण की अपील सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:47 IST
Reason: SelfAttested